अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 26 नवंबर, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अक्तूबर, 2019 माह के मासिक सारांश – अतिरिक्त जानकारी के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अक्तूबर, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग में शामिल की गई अतिरिक्त जानकारी, इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक
26.11.2019
(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक (पी0 एण्ड सी0)
दूरभाष नं0 2307 1149

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अक्तूबर, 2019 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

नेफेड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, प्याज के बफर स्टॉक के संबंध में स्थिति अपटेड की गई है, जो कि निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के दौरान, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत 57,372.90 मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक का सृजन किया गया है। इसके लिए, महाराष्ट्र और गुजरात से क्रमशः 48,183.54 मीट्रिक टन और 9,189.36 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति की गई। इस बफर से, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य एजेंसियों को वितरण तथा विभिन्न मंडियों खुली नीलामी के माध्यम से बिक्री के जरिए 26,735 मीट्रिक टन का निपटान किया गया। शेष स्टॉक में से, कम गुणवत्ता वाली 11,408 मीट्रिक टन प्याज को स्थानीय बाजार में बिक्री के माध्यम से निपटाया गया तथा सीमित शेल्फ लाईफ होने की वजह से लम्बे समय तक भंडारण, सूखने, बर्बादी इत्यादि के कारण नुकसान हुआ।